राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141–2716422

क्रमांकः प.7(1)(7)निमअ/स्टोर/फ्लैक्स बैनर /2020-21/ 17698 **जयपुर, दिनांकः–21/6/2021**

खुली बोली सूचना

निदेशालय महिला अधिकारिता में फ्लैक्स बैनर आदि की वार्षिक दर संविदा हेतु इच्छुक बोलीदाताओ से दिनांक 08.07.2021 अपरान्ह् 1.00 बजे तक खुली बोली आमन्त्रित की जाती है। बोली से सम्बन्धित अन्य विवरण/बोली दस्तावेज प्रपत्र राज्य की उपापन पोर्टल http://sppprajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखे व डाउनलोड किये जा सकते है।

(डॉ0 आभा जैन)
अतिरिक्त निदेशक (WE)
एवं कार्यालयाध्यक्ष
महिला अधिकारिता

D:\STORE-2018-19\Tender\ Flex Banner

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर, दरभाष 0141–2716422

फ्लैक्स बैनर आदि व्यवस्था हेतु बोली प्रपत्र

1. बोली प्रपत्र का मूल्य – 500/– रू
2. कार्य की अनुमानित लागत – 4.00 लाख रूपये
3. बोली प्रतिभूति राशि– घोषणा–पत्र
4. बोली बेचने की अतिम तिथि :– 07.07.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे तक
5. बोली विभाग को प्रस्तुत करने की तिथि :– 08.07.2021 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
6. बोली प्रस्ताव खोलने की तिथिः– 08.07.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे
7. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता :–

   ____

   ____

   ____

8. आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर के पते पर..........................
   ....

   बोली प्रपत्र शुल्क की रकम राशि रू 500/– डी.डी/बैंकर्स चैक .... दिनांक .... द्वारा विभाग में जमा करा दी गई है।
9. मैं/हम निविदा में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिए सहमत है तथा उक्त बोली सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।
10. हम अपनी विभिन्न न्यूनतम दरे **संलग्न परिशिष्ट–स** में अंकित करते है।
11. बोलीदाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की :– ....
12. फर्म का शॉप एक्ट/उधोग विभाग/बिक्रीकर विभाग/सहकारी विभाग का रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र संख्याः– .... दिनांकः– ....(प्रति संलग्न करें)
13. फर्म का गत दो वर्षो 2019–20 एवं 2020–21 में औसत टर्नओवर रूपये 4.00 लाख के सम्बन्ध में चाटेर्ड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र प्रर्फोमा (परिशिष्ट संख्या "द") सलग्न है।
14. फ्लैक्स व्यवस्था के अनुभव का दो वर्ष का प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करें जिसमें सरकारी/स्वायत्तशासी/प्रतिष्ठित संस्थान .(सरकारी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत) संस्थान के कार्य का अनुभव हो।
15. बोली के साथ संलग्न किये गये प्रपत्रों का विवरण–

क्र सं.	प्रपत्रों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर सहित

बोली दस्तावेज की शर्तें

नोटः— बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा बोली दस्तावेज भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिये, इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा बोली दस्तावेज पर विचार नहीं किया जावेगा। इस बोली दस्तावेज/अनुबंध के क्रम में की जाने वाली क्रय व सभी आपूर्ति पर राजस्थान ट्रांसपेरेन्सी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान ट्रांसपेरेन्सी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नियम, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे/रहेंगे।

1. बोलीदाता को बोली दस्तावेज सूचना, बोली दस्तावेज फार्म में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत करना चाहिए। **प्रथम लिफाफा बोलीदाता की तकनीकि योग्यता एवं बोली दस्तावेज के संबंध में होगा** तथा **द्वितीय लिफाफा में मात्र सामग्री की दरें/वित्तीय के उद्वरन से संबंधित होगा। (परिशिष्ट 'स') शेष सभी दस्तावेज मय बोली प्रपत्र प्रथम तकनीकि लिफाफें में डाले जाये।**
2. **बोलीदाता को दो अलग अलग सील बंद लिफाफों में तकनीकी बोली व वित्तीय/दर बोली लिख कर प्रस्तुत करनी होगीं और लिफाफो पर तकनीकी व वित्तीय/दर बोली स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। दोनों अलग अलग लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करने होंगे।**

3. तकनीकि प्रस्तावः— बोलीदाता को तकनीकी बिड लिफाफे में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगेः—

I. बोली के साथ वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में बोली की अनुमानित राशि की एक प्रतिशत बिड प्रतिभूति राशि रूपये 4000/— की 50/— के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पेपर (संलग्नक "स") घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

II. बोली दस्तावेज मय बोली दस्तावेज की शर्तः— बोलीदाता को विभाग द्वारा जारी बोली दस्तावेज एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तों की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करने होगें।

III. "टर्न ओवर" वित्तीय वर्ष 2019—20 एवं 2020—21 में प्रत्येक वर्ष में कम से कम 4.00 लाख रूपये होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण में चाटेर्ड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र संलग्न प्रर्फोमा (परिशिष्ट संख्या "द") में प्रस्तुत किया जाना होगा।

IV. फर्म का रजिस्ट्रेशन — शॉप एक्ट/बिक्रीकर विभाग/सहकारी विभाग/उधोग विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

V. कार्यानुभव – इस प्रकार के किये गये कार्यो का कम से कम दो वर्ष का अनुभव का प्रमाणन पत्र/संबंधित कार्यादेश की प्रति संलग्न करें। दो वर्षो में किसी राजकीय विभाग/स्वायत्तशासी संस्था/प्रतिष्ठित संस्थान उपक्रम में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।

VI. बोली लगाने वाला यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि मेरी फर्म/एजेन्सी किसी भी उपापन संस्था एवं राज्य सरकार द्वारा विवार्जित एवं ब्लैक लिस्ट नही की गई है संलग्न **परिशिष्ठ–'अ'**।

VII. बोली लगाने वाला यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह माल का विनिर्माता/वास्तविक व्यापारकर्ता/अधिकृत विक्रेता आदि संलग्न **परिशिष्ट–'ब'** है।

VIII. फर्म का माल एवं सेवा (GST) में रजिस्ट्रेशन नियमानुसार होना आवश्यक है अन्यथा संस्था/ऐजेन्सी/फर्म के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

4. **सामान्य शर्तो के अन्तर्गत क्रमांक 3 के तहत उल्लेखित 8 दस्तावेज (1-viii) प्रस्तुत करने वाले निविदा दाताओं की ही तकनिकी रूप से सफल निविदा दाता माना जायेगा। बोलीदाताओं में तकनीकि रूप से सफल बोलीदाताओं के ही दर प्रस्ताव/वित्तीय बोली खोली जायेगी।**

5. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी/वृद्धि के संबंध में समस्त अधिकार आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पास सुरक्षित रहेंगे।

6. बोली दस्तावेज के साथ संलग्न सूची में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होगी। एक से अधिक दरें देने पर संबंधित आईटम की दर अस्वीकार होगी।
7. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों में वैट, एक्साईज एवं अन्य समस्त कर सम्मिलित होगें।
8. बोलीदाता प्रारूप स्याही से भरा जावे या टंकण से भरा जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी बोली दस्तावेज पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेगा कि बोलीदाता ने सभी शर्तो को पढ लिया है एवं समझ लिया है। अतः बोलीदाता को चाहिए कि सभी शर्तो को पढकर समझ ले यदि किसी प्रकार का स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में विभाग के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते है।
9. दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ(एरर्स) एवं/या उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लधु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

10. **विधि मान्यता** :– बोली दस्तावेज, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

11. बोलीदाता फर्म को दिया गया कान्ट्रेक्ट वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नही सौंप सकेगा अर्थात सबलैट नहीं कर सकेगा।

12. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे बोली दस्तावेज स्पेसीफिकेशन अनुरूप है।

13. बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि क्षति/टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी होने के मामले में, बोलीदाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

14. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो सामग्री निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाई जायेगी उन्हें रद्द कर दिया जायेगा तथा बोलीदाता द्वारा ऐसी सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

15. अनुबंध की अवधि अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी तथा उक्त अवधि को पारस्परिक सहमति से विद्यमान दर संविदाऐं उसी कीमत, निबंधनो और शर्तो पर 03 माह तक बढाई जा सकेगी। असंतोषजनक सेवा की स्थिति में अनुबंध की अवधि कम भी की जा सकती है।

16. बोलीदाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति विभागीय आवश्यकता/मांग के अनुरूप आदेशित अवधि के अन्दर की जायेगी।

17. क्रय किये जाने वाली सामग्री की मात्रा बोली दस्तावेज में अंकित/आदेशित राशि के अनुरूप कम/अधिक हो सकेंगी।

18. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली दस्तावेज प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

19. विभागीय आदेश के द्वारा उपरोक्त समस्त प्रकारों के बैनर प्रशिक्षण स्थल एवं कार्यक्रम/मेले स्थल पर फर्म द्वारा ही निर्देशानुसार लगाये जायेगें, जिसका किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही दिया जाएगा।

20. कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात निर्देशानुसार फ्लैक्स बैनर मल्टीकलर मय बैक ड्रॉप (लोहे के फेम में) एवं रॉलअप स्टेण्डी निदेशालय महिला अधिकारिता के स्टोर शाखा में रखवाये जाने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक/बोलीदाता की होगी, जिसका किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही दिया जायेगा।

21. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)

10. (क) बोली के साथ वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में बोली की अनुमानित राशि की एक प्रतिशत बिड प्रतिभूति राशि रूपये 4000/- की 50/- के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पेपर (संलग्नक "स") घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूटः जो फर्म निदेशक, उद्योग एवं रसद, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन्हें उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिये वह उस रूप में पंजीकृत है, बोली प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा करानी होगी।

किन्तु यह इस शर्त के अध्यधीन है कि, पंजीयन प्रमाण-पत्र मूल रूप में या उसकी एक फोटो-स्टेट कॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित हो की एक प्रति निदेशक, उद्योग एवं रसद राजस्थान से प्राप्त सक्षमता प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को प्रतिभूति राशि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार छूट प्रदान कर वान्छित राशि जमा करानी होगी।

22. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरणः-

बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि का समपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा-

I. जब बोलीदाता बोली खोले जाने के पश्चात, किन्तु बोली की स्वीकृति के पूर्व बोली वापस ले लेता है या प्रस्ताव को परिवर्तित करता है।
II. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
III. जब निर्धारित समय के भीतर प्रदाय आदेशानुसार मदों का प्रदाय करने में असफल रहता है।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

IV. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात नियत समय में कार्यसम्पादन (Performance Security) राशि जमा नहीं कराता है।

V. जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

VI. जब बोलीदाता सन्तोषप्रद रूप से कार्य करने में विफल रहता है।

23. बोलीप्रतिभूति (बिड प्रतिभूति) राशि का समपहरण सहित अन्य विधि समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के क्लोज 42 प्रावधानानुसार की जावेगी –

i. जब बोलीदाता बोली खोले जाने के पश्चात, किन्तु बोली की स्वीकृति के पूर्व बोली वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरण (मोडिफिकेशन) करता है।

ii. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

iii. जब निर्धारित समय के भीतर प्रदाय आदेशानुसार मदों का प्रदाय करने में असफल रहता है।

iv. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात नियत समय में कार्यसम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) राशि जमा नहीं कराता है।

v. जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

vi. बोलीदाता नियम/अधिनियम विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की सहिंता के किसी उपबंध का भंग करता है।

24. करार निष्पादन एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति निक्षेप :–

1. बोली स्वीकृत होने की स्थिति में सफल बोलीदाता को 500/–रू नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पडेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को निम्नानुसार कार्यसम्पादन (Performance Security) राशि के रूप में निदेशालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी पडेगी।

   1. सामान्य बोलीदाता से –2.5%
   2. SSI Unit से –0.5%
   3. रूग्ण औधोगिक ईकाई से –1.00%

उक्त अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। MSME में पंजीकृत फर्मो का कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय होगी।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

2. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें :–

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ की रसीद की प्रति।

(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से विभाग के नाम अंतरित की जायेगी।

(ग) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) जो कि विभाग के नाम से हो।

25. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टांपिंग किये जाने का व्यय बोलीदाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार की स्टाम्प शुदा मूल प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जावेगी।

26. भुगतान :–

(1) राशि का भुगतान सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जायेगा।

(2) भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएगें।

(3) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(4) बोलीदाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होगें।

(5) नियमानुसार देय भुगतान पर स्त्रोत पर आयकर एवं अन्य कटौती की जायेगी।

27. **परिनिर्धारित क्षति (लिक्विडेटेड डेमेजेज)** के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

i. (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10 प्रतिशत।

ii. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

iii. यदि प्रदायकर्ता (Supplier), किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

iv. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

28. वसूलियाँ :–

परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्ध की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी या गुणवत्ता अनुसार सामग्री पुनः प्रदाय की जावेगी। कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्ध किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढ़ंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्विीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।

29. विभाग न्यूनतम दर/वित्तीय वाली बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली या बोली के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।

30. बोलीदाता को अनुबंध निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:–

i. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

ii. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष।

iii. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

iv. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

31. बोली दस्तावेज प्रकिया में तकनीकि रूप से सफल बोलीदाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेगें।

32. बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई/कार्य क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किये जाने पर विवाद की स्थिति में मध्यस्थ (आरबीट्रेटर) विभागाध्यक्ष (आयुक्त/निदेशक), महिला अधिकारिता होगा। जो पंचाट के रूप में दोनों पक्षों को मान्य होगा। बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय अनुबंध को निरस्त कर सकता है इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

33. अनुबंध अवधि के दौरान यदि ऐसी कोई परिस्थिति अथवा नियम लागू होते है जिनका उपाबंध दर अनुबंध की शर्तों में नहीं है तो उनका निराकरण उस समय के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जायेगा। नियमों में इस संबंध में व्यवस्था नहीं होने पर आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा जो अनुबंधकर्ता फर्म को मान्य होगा।

34. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या बोलीदाताओं द्वारा जयपुर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी। अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

35. बोलीदाता द्वारा अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त विभाग को मान्य नही होगी। बोली शर्तो के विपरीत शर्त मान्य नही होगी तथा ऐसी बोली स्वीकार नही की जावेगी।

36. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैनें/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जो हमें स्वीकार है। जिसकी सहमति के रूप में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

37. फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करते समय सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. एवं आई.जी.एस.टी. को अलग–अलग दर्शाया जाना होगा तथा उक्त कर सरकार में जमा कराये जाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

38. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 23(जे) के अनुसार "दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत, गिरने के खण्ड के अध्याधीन होगी। कीमत गिरने संबंध खण्ड, दर संविदा के निबन्धनों औनर शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है जो यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएँ देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिधान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः ही कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत कीमत अधिसूतचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम रहती है, तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती हैं, तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा"।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

बोलीदाता द्वारा विवार्जित एवं ब्लेकलिस्ट नही होने की घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बोली दस्तावेज दी है मेरी/हमारी फर्म आज तक किसी भी राजकीय कार्यालय/बोर्ड/निगम व स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्रतिष्ठित संस्था/उपक्रम द्वारा विवार्जित एवं ब्लेकलिस्ट नही की गई।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्नत कर लिया जा सकेगा तथा बोली दस्तावेज को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली फर्म मय सील

प्रारूप एस.आर–11

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बोली दस्तावेज दी है उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/ हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली दस्तावेज को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली
फर्म मय सील

वित्त बोली   परिशिष्ट 'स'

फ्लैक्स बैनर की विवरण सहित सूची एवं दरें

क्र.सं.	बैनर का विवरण	दर प्रति वर्ग फुट/नग	GST दर	मय GST के समेकित दर
1	2	3	4	5
1.	फ्लैक्स बैनर मल्टीकलर 4 Pass तथा पेस्टिंग सहित (शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई मजदूरी सहित)			
2.	फ्लैक्स हौडिंग मल्टीकलर तथा पेस्टिंग सहित (शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई मजदुरी सहित)			
3.	फलैक्स हौडिंग मय बैक ड्रॉप (लोहे के फ्रेम में) कार्यक्रत स्थल पर			
4.	रॉलअप स्टेण्डी साईज 6X3 (दर प्रति नग)			
5.	सन बोर्ड 2.8 mm विनायल ईको प्रिन्ट पेस्टींग सहित			
6.	सन बोर्ड 5.0 mm विनायल ईको प्रिन्ट पेस्टींग सहित			
7.	ब्लैक आउट मीडिया– स्टार ईको प्रिन्ट (मीडिया–एल.जी/ हनवा) आवश्यक **शर्तः**– कार्य का पूर्व अनुभव एवं 10 मिनट में प्रिन्ट आउट बदलने की कार्यक्षमता हों।			
8.	प्रशस्ति पत्र फ्रेम सहित 8.3X11.7"(ए4)			
9.	प्रशस्ति पत्र 8.3X11.7"(ए4)			
10	विभागीय योजनाओं के मॉडल हेतु बॉक्स दर प्रति धन फुट (टॉप एवं बोटम 8 एम.एम प्लाई बोर्ड मय सनमाई का एवं 5 एम.एम गिलास विथ ब्रिडिंग)			
11	पोस्टर एवं फोटों ग्राफी आदि के प्लास्टिक लेमिनेंशन 50 माईक्रों प्रति वर्ग फुट			

नोटः– (1)न्यूनतम दरे आइटम वाईज रहेगी।

(2)जिस फर्म के सबसे अधिक आइटमो की दरे न्यूनतम होगी उस फर्म को अन्य फर्मो के आइटमो की न्यूनतम दरो के अनुसार निगोशिएसन करने का प्रस्ताव दिया जायेगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली

चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ....
का निम्न अवधि का टर्न ओवर अंकेक्षित लेखो के अनुसार निम्न प्रकार रहा है:–

क्रं सं	अवधि / वर्ष	टर्न –ओवर
1	2019–20	....
2	2020–21	....

हस्ताक्षर मय सील
चार्टेड अकाउन्टेंट

Form No.1

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

() Official address, if any:

(i) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

()

(i)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: